राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक: SHSB/PM/161/2007/5273

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार
सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति।

पटना, दिनांक 08/12/2022

विषयः जिलान्तर्गत स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों की शत्-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये अस्पताल में आने वाले मरीजों को निःशुल्क औषधि मुहैया कराने के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिलान्तर्गत सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक औषधियों की सूची (EDL) के अनुरूप औषधियों की शत्-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुये सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को निःशुल्क में औषधियाँ मुहैया कराना सरकारी की प्राथमिकताओं में से एक है।

2. **विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक 4034, दिनांक 07.05.2013 द्वारा जिला के स्वास्थ्य संस्थानों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जबावदेही जिला पदाधिकारी को दी गई है। विकास आयुक्त द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को इस निमित बैठक कर दवाओं की उपलब्धता अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया है।** सुलभ प्रसंग हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

3. **इसी प्रकार स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या 120 (HS), दिनांक 15.05.2014 द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय असपताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में सिविल सर्जन, स्वास्थ्य प्रबंधक एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक के दायित्वों का निर्धारण किया गया है।**

4. जिलों के स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों के Indent, आपूर्ति एवं वितरण की DVDMS Web Portal से समीक्षा करने के क्रम में पाया गया कि नई Indenting Policy के तहत प्रत्येक तिमाही में सभी स्वास्थ्य संस्थान द्वारा EDL में निहित सभी प्रकार के औषधियों का Indent नहीं किया जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य संस्थान के उपाधीक्षक एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा आवश्यकता का आकंलन करने के उपरांत औषधियों का Indent करने का प्रावधान है। यदि EDL में निहित औषधियों से कम संख्या में Indent किया जा रहा है तो यह माना जायेगा कि EDL कि शेष औषधियाँ उक्त संस्थान के भंडार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

5. स्वास्थ्य विभागीय विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से EDL में निहित औषधियों की निरंतर उपलब्धता प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान में बनाये रखने का निदेश पूर्व से ही निर्गत है। इसके बावजूद स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों की अनुपलब्धता आपत्तिजनक है। अतएव, अस्पताल के OPD में आने वाले मरीजो की संख्या के आधार पर EDL में निहित औषधियों का minimum stock level रखा जाना अनिवार्य है।

6. BMSICL द्वारा जिन औषधियों का दर अनुबंध नहीं किया गया है अथवा BMSICL के भंडार में स्टॉक उपलब्ध नही रहने की स्थिति में वैसी औषधियों के लिए NA Certificate निर्गत किया गया है, ताकि इन औषधियों का जिला स्तर/स्वास्थ्य संस्थान स्तर पर क्रय किया जा सके। राज्य स्तर पर व्यय की समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि Free Drug Services initative मद में जिलों को आवंटित 20 प्रतिशत का बजट का उपयोग नहीं किया गया है और यह राशि जिलों में अव्ययित है। यह

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाष: 0612–2290328, फैक्स: 0612–2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार

अंकनीय है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से Free Drug Services मद में प्राप्त बजट का 20 प्रतिशत बजट सभी जिला स्वास्थ्य समितियों को जिला स्तर पर अपरिहार्य/आपातस्थिति में आवश्यकतानुसार EDL में निहित औषधियों के क्रय करने हेतु आवंटित है। इस संबंध में वित्तीय दिशा-निर्देश 2022-23 की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु इस पत्र के साथ पुनः संलग्न कर भेजा रहा है।

7. आवश्यक दवाओं एवं सर्जिकल सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य स्तर से अथक प्रयास किये जा रहे है। DVDMS के माध्यम से औषधि आपूर्ति श्रृंखला का विस्तारीकरण एवं इसे प्रत्येक स्तर पर प्रभावकारी बनाया जा रहा है। DVDMS के उपयोग में सहयोग प्रदान करने हेतु राज्य स्तर पर विशेष टीम का गठन किया है जो सभी उपयोगकर्ताओं को Hand Holding Support उपलब्ध कराने के लिये 24x7 उपलब्ध रहती है।

8. स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 1031(1), दिनांक 06.12.2022 के अनुसरण में सभी सदर अस्पताल में 5 दिनों की दवा वाह्य एवं अतं:वासी रोगियों को अस्पताल से छुट्टी के समय दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसी प्रकार मुधमेह, उच्च रक्तचाप एवं अन्य स्थायी बीमारियों (Chronic Disease) के लिए 30 दिनों की दवा मरीजों की दी जाए। गर्भवती महिलाओं को IFA एवं Calcium टेबलेट की पूरे खुराक (Full Dose) की दवा एकमुश्त दी जाए।

9. अत: अनुरोध है कि जिलान्तर्गत सभी स्तर के सरकारी अस्पतालों के लिए अधिसूचित EDL में निहित औषधियों की निरंतर उपलब्धता बनाये रखने हेतु DVDMS के माध्यम से BMSICL को प्रत्येक तिमाही में आवश्यकतानुसार Indent किया जाए एवं BMSICL द्वारा जिन औषधियों के लिए NA Certificate निर्गत किया गया है उनका क्रय जिला स्तर/स्वास्थ्य संस्थान स्तर पर बिहार वित्त नियमावली, वित्तीय मार्गदर्शिका 2022-23 एवं स्वास्थ्य विभागीय क्रय अनुदेशों का अनुपालन करते हुये किया जाए। Free Drug Services Initiative मद में जिलों को आवंटित राशि का व्यय प्रतिवेदन दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक 4034, दिनांक 07.05.2013 एवं स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या 120 (HS), दिनांक 15.05.2014 में निहित निदेशों का अनुपालन किया जाए।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार सिंह)

ज्ञापांक 5273 पटना, दिनांक 08/12/2022

प्रतिलिपि :

- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को कृपया सूचनार्थ।
- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं अनुरोध है कि अधियाचित औषधियों तथा सर्जिकल सामग्रियों की जिलों में ससमय शतप्रतिशत आपूर्ति कराने की व्यवस्था की जाए। साथ ही, जिन औषधियों के NA Certificate की समयावधि कालातीत हो चुकी हो, उन औषधियों के आपूर्ति आदि के संबंध में समुचित निर्णय लेते हुये सिविल सर्जन को संसूचित किया जाए।
- सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक निदेशक

वित्तीय दिशा-निर्देश-2022-23

कार्यक्रम का नाम: **Other Initiatives to improve access**

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष (ROP के आधार पर): **Free drugs services initiative**

नया बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 संख्या (ROP के आधार पर): **HSS.7 S. No. 180**

D- Drugs & Supplies

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण: राज्य के सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचित EDL में निहित औषधियाँ मुफ्त में उपलब्ध कराने हेतु NHM के अंतर्गत Free Drugs Services Initiative बजट शीर्ष में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में 200.00 करोड़ रूपये का बजट अनुमोदित है। सरकारी अस्पतालों के बाह्य रोगी कक्ष (OPD) एवं अंतर्वासी रोगी कक्ष (IPD) में आने वाले मरीजों को EDL में निहित औषधियों की आपूर्ति हेतु इस बजट का उपयोग किया जाना है। जिलान्तर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हेतु अधिसूचित EDL की औषधियों की आपूर्ति भी उक्त बजट शीर्ष में आबंटित बजट के अधीन ही किया जाना है।

वित्तीय दिशा निर्देश :

बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग के संकल्प संख्या 12/प0-08-14/2009-466(12) दिनांक 19.5.2010 के द्वारा बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड को औषधियों एवं उपकरणों के क्रय हेतु ''राज्य क्रय संगठन'' नामित किया गया है।

2. स्वास्थ्य विभागीय संकल्प ज्ञापांक 291(12), दिनांक 21.03.2018 द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जिला अस्पताल, अनुमण्डलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र के लिए आवश्यक औषधि की सूची, EDL के रूप में अधिसूचित है। साथ ही, स्वास्थ्य विभागीय संकल्प ज्ञापांक 917(12), दिनांक 04.10.2019 द्वारा Health & Wellness Center के लिये आवश्यक औषधियों को चिन्हित करते हुये उन्हें भी EDL की सूची में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए भी भारत सरकार द्वारा औषधियाँ चिन्हित की गयी है। जिसके लिए बजट का उपबंध अलग-अलग बजट शीर्षो में किया गया है।

3. स्वास्थ्य विभागीय संकल्प ज्ञापांक 72(प०क०), दिनांक 19.01.2007, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक 3025, दिनांक 16.04.2014 एवं स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 582(12), दिनांक 20.06.2017 में सरकारी अस्पतालों में जेनेरिक दवा प्रेस्क्राईव करने का अनुदेश निहित है। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 594(12), दिनांक 18.09.2014 एवं ज्ञापांक 640(12), दिनांक 27.07.2018 द्वारा आवश्यक दवाओं की सूची (EDL) में निहित औषधियाँ प्रेस्क्राईव करने का निदेश दिया गया है।

4. स्वास्थ्य विभागीय संकल्प ज्ञापांक 545(12) दिनांक 11.06.2019 की कंडिका 'घ' के अनुसार Free drugs services initiative (FMR Budget Code: HSS.7, S.No- 180) मद में NHM द्वारा अनुमोदित बजट का 20 प्रतिशत आबंटन (आपात/अपरिहार्य स्थिति एवं जिन औषधियों का दर अनुबंध BMSICL के स्तर से नहीं किया जा सका है मात्र उनका क्रय, BMSICL से अनापत्ति (NoC) प्राप्त कर जिला क्रय समिति के माध्यम से करने हेतु) जिला स्वास्थ्य समितियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष 80 प्रतिशत बजट संबंधित जिलों में औषधियों आदि की आपूर्ति हेतु BMSICL के लिए राज्य स्तर पर आरक्षित/उपबंधित रखा गया है। इस मार्गदर्शिका के साथ संलग्न Notional Allocation Budget Sheet में Free drugs services initiative के अन्तर्गत जिलावार जनसंख्या के आधार पर संबंधित जिला के लिए कुल बजट का आवंटन स्तंभ 'E' में दर्शाया गया है। इसका 20 प्रतिशत बजट (स्तंभ 'F') जिला स्वास्थ्य समितियों को जिला स्तर पर अपरिहार्य/आपातस्थिति

1056

में आवश्यकतानुसार EDL में निहित औषधियों के क्रय हेतु किया जा सकेगा, जबकि शेष प्रतिशत बजट (स्तंभ 'G') की अधिसीमा के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार EDL में निहित औषधियों एवं सर्जिकल सामग्रियों की आपूर्ति BMSICL से प्राप्त करने हेतु उपयोग किया जा सकेगा।

5. जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा औषधियों का क्रयादेश निर्गत करने के पूर्व अपने जिला के प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थानों में विगत तीन वर्षो में औषधिवार हुयी खपत के आधार पर नियमानुसार चालू वर्ष के लिए प्रत्येक औषधि की आवश्यकता का आकलन किया जाय। तदनुसार प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थानों से औषधियों की आवश्यकता का अधियाचना/माँग पत्र के आधार पर संबंधित जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा ही बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (BMSICL) के दिशा-निदेशों के आलोक में प्रत्येक तिमाही (Quarterly) में DVDMS (ई-औषधि) प्रणाली से ऑनलाईन अधियाचना निर्गत किया जायेगा। आवश्यक औषधियों की आपूर्ति इस विधि से प्राप्त किया जाए कि औषधि भंडार में दो माह का Buffer Stock रहते हुए संबंधित अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी आवश्यक औषधियों की आपूर्ति हेतु पुन: अगले तीन माह के लिए औषधियों का क्रयादेश (Indent) BMSICL को निर्गत करेंगे, ताकि दवाओं की आपूर्ति होने तक स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक औषधियों की उपलब्धता निरंतर बनी रहे एवं मरीजों को उनकी आवश्यकतानुसार औषधि मिलता रहे। इस संदर्भ में राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के पत्रांक 17684 दिनांक 10.6.2010 एवं पत्रांक 4034 दिनांक 7.5.2013 में निहित अनुदेशों का पालन किया जाय।

6. जिलान्तर्गत प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थानों में वाह्य रोगी कक्ष एवं अंतर्वासी रोगी कक्ष के लिए स्वास्थ्य विभाग के स्तर से अधिसूचित EDL में निहित सभी प्रकार की आवश्यक औषधियों की उपलब्धता ससमय सुनिश्चित करने का दायित्व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, उपाधीक्षक, स्वास्थ्य प्रबंधक, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं सिविल सर्जन की समान रूप से होगी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या 120(HS) दिनांक 15.05.2014 में निहित दिशा-निदेश प्रभावी माना जायेगा।

7. सभी जिला स्वास्थ्य समिति/सिविल सर्जन कार्यालय स्वास्थ्य संस्थान द्वारा BMSICL से आपूर्ति प्राप्त एवं स्थानीय स्तर पर क्रय की गयी EDL में निहित सभी प्रकार की औषधियों/चिकित्सकीय सामग्रियों की विहित प्रक्रियानुसार भौतिक भंडार पंजी में प्रविष्टि कर भौतिक भंडार पंजी का सत्यापन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन से कराया जायेगा। स्वास्थ्य विभागीय आदेश ज्ञापांक SHSB/PM/531/2018-535, दिनांक 08.05.2021 द्वारा राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों/शल्य सामग्रियों की Offline/Manual अधियाचना (Indenting), प्राप्ति (Receipt) एवं आपूर्ति/वितरण (Supply/Distribution) पूर्णत: निषिद्ध की गयी है। अतएव जिलान्तर्गत स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा सभी प्रकार की औषधियों/शल्य सामग्रियों की अधियाचना ई-औषधि (DVDMS) के माध्यम से ही की जायेगी। साथ ही, BMSICL द्वारा आपूरित एवं जिला स्तर पर क्रय की गयी औषधियों की प्राप्ति एवं जिलान्तर्गत स्वास्थ्य संस्थानों में वितरण आदि की संपूर्ण प्रक्रिया ई-औषधि (DVDMS) के माध्यम से अनिवार्य रूप से की जाये। DVDMS पोर्टल में प्रविष्ट आकड़ो का मिलान भौतिक भंडार पंजी से अवश्य कर लिया जाए। आंकड़ो में भिन्नता अनियमितता का परिचायक माना जाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभागीय आदेश ज्ञापांक SHSB/PM/531/2018-535, दिनांक 08.05.2021 में विस्तृत निदेश दिये गये है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित सिविल सर्जन, स्वास्थ्य संस्थान के उपाधीक्षक एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, औषधि भंडारों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी तथा औषधि भंडार के भंडारपाल/फार्मासिस्ट की होगी। उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन नही होने पर उक्त पदाधिकारी/कर्मी सीधे रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे एवं अनुशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे।

8. जिलों में विभिन्न स्त्रोतो (BMSICL से आपूर्ति एवं जिला स्तर पर क्रय के माध्यम से) से आपूर्ति प्राप्त औषधियों एवं शल्य सामग्रियों का सत्यापन स्वास्थ्य विभागीय आदेश ज्ञापांक 09/क्रय

2-37/97-770(9)/2006, दिनांक 08.07.2006 एवं 63(7), दिनांक 23.08.2013 में निहित दिशा-निदेशों के अनुरूप करते हुये तदनुसार DVDMS में औषधियों की प्राप्ति (Receipt and Acknowledge) से संबंधित अनिवार्य प्रविष्टि का मिलान कर निरीक्षी पदाधिकारी आश्वस्त हो लेंगे। जिलान्तर्गत विभिन्न अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों पर जिला औषधि भंडार से दवा आपूर्ति होने पर उसका पुनः सत्यापन एवं DVDMS में प्रविष्टि कार्य कराया जाय। इस सत्यापन के पश्चात ही किसी नई आपूर्ति के स्टॉक का व्यवहार प्रारंभ किया जाय। जिलों द्वारा स्थानीय स्तर पर क्रय की जा रही औषधियों एवं चिकित्सकीय सामग्रियों के भौतिक सत्यापन एवं DVDMS पर प्रविष्टि का दायित्व एवं जिम्मेवारी अस्पताल प्रबंधन में पदस्थापित पदाधिकारियों के पदीय उत्तरदायित्व में अर्न्तनिहित है।

9. **औषधियों के अवसान तिथि के संबंध में-** औषधि एवं अंगराग अधिनियम, 1940 एवं तत्संबंधी नियमावली, 1945 के Schedule 'P' में औषधियों के लिए निर्धारित तिथिवाद की अधिकतम अवधि के अनुरूप औषधियों को जिलान्तर्गत औषधि भंडार में भंडारित किया जाए। BMSICL द्वारा आपूर्ति की गयी औषधि यदि Expired होती है तो उन्हें वापस लेने की जिम्मेवारी BMSICL की होगी, परन्तु यह निदेश चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं सिविल सर्जन द्वारा स्थानीय क्रय समिति के माध्यम से क्रय की गयी औषधियों एवं चिकित्सकीय सामग्रियों पर लागू नहीं होगी। औषधि एवं अंगराग अधिनियम, 1940 एवं तत्संबंधी नियमावली, 1945 के Schedule 'P' में औषधियों के लिए निर्धारित तिथिवाद की अधिकतम अवधि के अनुरूप जिलों में औषधियों को भंडारित किया जायेगा। औषधियों के अवसान आदि के संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक 3917; दिनांक 27.05.2014 एवं इसी क्रम में स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 12/प०-09-32/2015-525(12); दिनांक 05.08.2015 में निहित अनुदेशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

10. **औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के संबंध में-** जिलों में BMSICL के स्तर से अथवा जिलास्तरीय निविदा के माध्यम से अथवा स्थानीय क्रय के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त की जा रही औषधियों के गुणवत्ता जाँच के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 12/प०-9-45/2015/658(12); दिनांक 30.10.2015 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेगी और इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही, स्थानीय स्तर पर क्रय की जा रही औषधियों की मानक गुणवत्ता के मद्देनजर औषधियों के भंडार में अधिप्राप्ति के साथ एवं आपूर्तिकर्त्ताओं के विपत्रों के साथ उनके विनिर्माण संस्थानों का Batch Test Report की प्रति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। वैक्सिन/सीरा (Sera) के मामले में केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कसौली (हिमाचल प्रदेश) द्वारा निर्गत Batch Release Certificate की प्रति भी अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाय। जिलास्तर पर क्रय किये गए औषधियों से आपूर्तिकर्त्ताओं के विपत्रों के भुगतान के पूर्व आश्वस्त हो लिया जाय कि संबंधित औषधियों के विनिर्माण संस्थान का Batch Test Report एवं वैक्सिन/सीरा के मामले में केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कसौली (हिमाचल प्रदेश) द्वारा निर्गत Batch Release Certificate की प्रति आपूर्तिकर्त्ता द्वारा जमा की गयी है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 12/प०क०-09-19/2016-880(12); दिनांक 22.08.2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। स्थानीय स्तर पर क्रय की गयी औषधियों का मानक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से औषधियों की गुणवत्ता जाँच संबंधित औषधि निरीक्षक के माध्यम से कराया जाए।

11. सिविल सर्जन तथा जिला स्वास्थ्य समितियों का यह दायित्व होगा कि औषधियों एवं शल्य सामग्रियों के क्रय के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आवंटित बजट से अधिक राशि का औषधि/चिकित्सकीय सामग्री का क्रय नही किया जाए। आपातस्थिति में भर्ती मरीजों के लिए औषधियों के क्रय हेतु स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या 718(12), दिनांक 17.09.2013 एवं राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक 6121, दिनांक 19.09.2015 प्रभावी होगा।

2-37/97-770(9)/2006, दिनांक 08.07.2006 एवं 63(7), दिनांक 23.08.2013 में निहित दिशा-निदेशों के अनुरूप करते हुये तदनुसार DVDMS में औषधियों की प्राप्ति (Receipt and Acknowledge) से संबंधित अनिवार्य प्रविष्टि का मिलान कर निरीक्षी पदाधिकारी आश्वस्त हो लेंगे। जिलान्तर्गत विभिन्न अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों पर जिला औषधि भंडार से दवा आपूर्ति होने पर उसका पुनः सत्यापन एवं DVDMS में प्रविष्टि कार्य कराया जाय। इस सत्यापन के पश्चात ही किसी नई आपूर्ति के स्टॉक का व्यवहार प्रारंभ किया जाय। जिलों द्वारा स्थानीय स्तर पर क्रय की जा रही औषधियों एवं चिकित्सकीय सामग्रियों के भौतिक सत्यापन एवं DVDMS पर प्रविष्टि का दायित्व एवं जिम्मेवारी अस्पताल प्रबंधन में पदस्थापित पदाधिकारियों के पदीय उत्तरदायित्व में अन्तर्निहित है।

9. **औषधियों के अवसान तिथि के संबंध में**- औषधि एवं अंगराग अधिनियम, 1940 एवं तत्संबंधी नियमावली, 1945 के Schedule 'P' में औषधियों के लिए निर्धारित तिथिवाद की अधिकतम अवधि के अनुरूप औषधियों को जिलान्तर्गत औषधि भंडार में भंडारित किया जाए। BMSICL द्वारा आपूर्ति की गयी औषधि यदि Expired होती है तो उन्हें वापस लेने की जिम्मेवारी BMSICL की होगी, परन्तु यह निदेश चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं सिविल सर्जन द्वारा स्थानीय क्रय समिति के माध्यम से क्रय की गयी औषधियों एवं चिकित्सकीय सामग्रियों पर लागू नहीं होगी। औषधि एवं अंगराग अधिनियम, 1940 एवं तत्संबंधी नियमावली, 1945 के Schedule 'P' में औषधियों के लिए निर्धारित तिथिवाद की अधिकतम अवधि के अनुरूप जिलों में औषधियों को भंडारित किया जायेगा। औषधियों के अवसान आदि के संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक 3917; दिनांक 27.05.2014 एवं इसी क्रम में स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 12/प०-09-32/2015-525(12); दिनांक 05.08.2015 में निहित अनुदेशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

10. **औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के संबंध में**- जिलों में BMSICL के स्तर से अथवा जिलास्तरीय निविदा के माध्यम से अथवा स्थानीय क्रय के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त की जा रही औषधियों के गुणवत्ता जाँच के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 12/प०-9-45/2015/658(12); दिनांक 30.10.2015 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेगी और इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही, स्थानीय स्तर पर क्रय की जा रही औषधियों की मानक गुणवत्ता के मद्देनजर औषधियों के भंडार में अधिप्राप्ति के साथ एवं आपूर्तिकर्त्ताओं के विपत्रों के साथ उनके विनिर्माण संस्थानों का Batch Test Report की प्रति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। वैक्सिन/सीरा (Sera) के मामले में केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कसौली (हिमाचल प्रदेश) द्वारा निर्गत Batch Release Certificate की प्रति भी अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाय। जिलास्तर पर क्रय किये गए औषधियों से आपूर्तिकर्त्ताओं के विपत्रों के भुगतान के पूर्व आश्वस्त हो लिया जाय कि संबंधित औषधियों के विनिर्माण संस्थान का Batch Test Report एवं वैक्सिन/सीरा के मामले में केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कसौली (हिमाचल प्रदेश) द्वारा निर्गत Batch Release Certificate की प्रति आपूर्तिकर्त्ता द्वारा जमा की गयी है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 12/प०क०-09-19/2016-880(12); दिनांक 22.08.2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। स्थानीय स्तर पर क्रय की गयी औषधियों का मानक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से औषधियों की गुणवत्ता जाँच संबंधित औषधि निरीक्षक के माध्यम से कराया जाए।

11. सिविल सर्जन तथा जिला स्वास्थ्य समितियों का यह दायित्व होगा कि औषधियों एवं शल्य सामग्रियों के क्रय के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आवंटित बजट से अधिक राशि का औषधि/चिकित्सकीय सामग्री का क्रय नही किया जाए। आपातस्थिति में भर्ती मरीजों के लिए औषधियों के क्रय हेतु स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या 718(12), दिनांक 17.09.2013 एवं राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक 6121, दिनांक 19.09.2015 प्रभावी होगा।

1054

12. BMSICL से Indent के आधार पर जिलों में प्राप्त की गयी औषधियों/शल्य सामग्रियों के आपूर्ति मद में BMSICL से राशि की अधियाचना के आलोक में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा राशि सीधे BMSICL को हस्तांतरित कर दी जाएगी।

13. स्थानीय क्रय हेतु आवंटित 20 प्रतिशत राशि के उपयोग के संबंध में निदेश है कि क्रयादेशित औषधिओं एवं चिकित्सकीय सामग्रियों की शत-प्रतिशत आपूर्ति प्राप्त करने के उपरांत ही आपूर्तिकर्त्ताओं को PFMS/NEFT के माध्यम से भुगतान किया जाये। किसी भी परिस्थिति में आपूर्तिकर्त्ताओं को अग्रिम रूप में राशि उपलब्ध नहीं कराया जाए। अग्रिम रूप में आपूर्तिकर्त्ताओं को राशि उपलब्ध कराने एवं क्रयादेशित औषधियों की आपूर्ति आपूर्तिकर्त्ता द्वारा नहीं करने तथा अग्रिम राशि आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा अनधिकृत रुप से रखने पर संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति/सिविल सर्जन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला लेखा प्रबंधक जिम्मेवार होंगे एवं उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जायेगी।

14. जिला स्तर पर औषधियों का क्रय बिहार वित्त (संशोधित) नियमावली 2005, औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (DPCO) एवं National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) के प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत निर्गत अद्यतन अधिसूचनाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाय। कालीसूची में दर्ज औषधि निर्माताओं से औषधियों का क्रय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय।

15. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत कार्यक्रम से संबंधित आवश्यक औषधियों एवं अन्य चिकित्सकीय सामग्री का क्रय करने हेतु अन्य बजट शीर्ष में भी बजट उपलब्ध करायी जा रही है, जिनके क्रय एवं आपूर्ति पर उपर्युक्त अनुदेश ही प्रभावी माना जायेगा।

16. कार्य के उपरान्त विहित प्रक्रियानुसार व्यय की विवरणी अपर निदेशक (वित्त) एवं राज्य वित्त प्रबंधक तथा राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को उनके द्वारा निर्धारित की गई समयावधि के अन्दर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का दायित्व सिविल सर्जन एवं जिला लेखा प्रबंधक की होगी।

<u>आदेश</u>:- आदेश दिया जाता है कि Free Drugs Services Initiative के वित्तीय दिशा-निर्देश को स्थानीय स्तर पर प्रकाशित कर इसकी प्रति जिला एवं प्रखंडस्तरीय सभी संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों को उपलब्ध करा दी जाए।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी का नाम/सलाहकार का नामः कमल नयन, प्रशासी पदाधिकारी-सह-प्रभारी, प्रोक्योरमेंट/मनीष रंजन, सहायक निदेशक (औषधि), श्री आलोक कुमार, प्रोक्योरमेंट एक्सपर्ट, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी का नाम/सलाहकार का फोन नं0 : 8544402232, 9473197721, 9871345274

मनीष रंजन	अविनाश कुमार पाण्डेय	कमल नयन, बि०प्र०से
सहायक निदेशक (औषधि)	राज्य कार्यक्रम प्रबंधक	प्रशासी पदाधिकारी -सह-प्रभारी, प्रोक्योरमेंट
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार	राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार	राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

1060

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
कार्यालय आदेश

आदेश संख्या 120(H.S) पटना, दिनांक 15/05/2014

राज्य के द्वारा अस्पतालों में दवाओं की बेहतर उपलब्धता एवं केन्द्रीयकृत आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए 'बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड' के द्वारा "औषधारा" कार्यक्रम अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। कई श्रोतों से यह सूचनाएँ आ रही हैं कि औषधियाँ एवं चिकित्सीय सामग्रियाँ 'बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना' के भूगृहादि में उपलब्ध है, परन्तु समयानुसार चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं जिलों के सिविल सर्जन के द्वारा औषधियों एवं चिकित्सीय सामग्रियों की अधिप्राप्ति हेतु निगम को अधियाचना नहीं भेजी जा रही है। फलतः निगम के पास औषधियाँ उपलब्ध होने के बावजूद राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों की अनुपलब्धता बनी हुयी है। दूसरी स्थिति यह भी है कि जिला दवा भंडार में भी दवा उपलब्ध है परन्तु जिला दवा भंडार से अन्य स्वास्थ्य संस्थानों को अधियाचित मात्रा में औषधियों की आपूर्ति नहीं की जा रही है। यह गंभीर स्थिति है और आपूर्ति व्यवस्था के सघन अनुश्रवण की आवश्यकता को इंगित करती है। इस परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित व्यवस्थात्मक परिवर्तन के आदेश दिए जा रहे हैं :-

(क) <u>सिविल सर्जन के लिए :</u>

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सदर अस्पतालों तक दवाएँ उपलब्ध हों इसके लिए स्वास्थ्य संस्थानों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/ उपाधीक्षक, स्वास्थ्य प्रबंधक एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक जवाबदेह होंगे। विशिष्ट रूप से निम्न दायित्व स्वास्थ्य प्रबंधकों एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक के होंगे :

i. दवाओं की उपलब्धता की प्रतिदिन समीक्षा स्वास्थ्य प्रबंधक द्वारा की जाएगी और जिला कार्यक्रम प्रबंधक तत्संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त कर सिविल सर्जन को पृष्ठांकित करेंगे। दवाओं की उपलब्धता संबंधी प्रविष्टि DHIS-2 पर भी प्रतिदिन अपलोड की जाये।

ii. दवा समाप्त होने से कम-से-कम 15 दिन पूर्व स्वास्थ्य प्रबंधक, डी०पी०एम० को अवगत कराएँगे ताकि दवाओं की आपूर्ति जिला दवा भंडार से हो सके अथवा अधियाचना भेजी जा सके।

iii. स्वस्थ्य प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि स्टॉक में उपलब्ध दवाएँ वितरण हेतु उपलब्ध हों एवं प्रतिदिन उपलब्ध दवाओं की सूची ओ०पी०डी० के चिकित्सक को उपलब्ध कराएँगे जिसके आधार पर चिकित्सक मरीजों को दवा prescribe करेंगे।

iv. किसी भी संस्थान में किसी भी दिन दवाओं की अनुलब्धता होने पर स्वास्थ्य प्रबंधक एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक सीधे रूप से जिम्मेवार होंगे और अनुशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे।

Scanned by CamScanner

v. सिविल सर्जन का यह दायित्व होगा कि स्वास्थ्य प्रबंधकों द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में अधियाचित मात्रा में औषधियाँ ससमय उपलब्ध करा दी जाये। जिला दवा भंडार में औषधि एवं चिकित्सीय सामग्री उपलब्ध होने के बावजूद जिले के किसी स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों की अनुपलब्धता होती है तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा।

(ख) <u>चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल :</u>

i. जिस प्रकार से अस्पताल प्रबंधकों के रखने की व्यवस्था पटना चिकित्सा महविद्यालय अस्पताल में की गई है, समरूप व्यवस्था अन्य चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में भी होनी चाहिए। इसलिए अस्थायी तौर पर निम्न विभागों के साथ एक-एक स्वास्थ्य प्रबंधक सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में रखे जाएँ जिसके मानदेय का भुगतान रोगी कल्याण समिति की निधि से किया जाएगा :

a. इमरजेंसी,
b. औषधि विभाग
c. सर्जरी विभाग
d. स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग,
e. शिशु रोग विभाग, एवं
f. ओ०पी०डी० ।

ii. इसके लिए पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के पास स्वास्थ्य प्रबंधकों का पैनल उपलब्ध है जिससे सभी प्राचार्य अनुशंसा लेकर चयन कर सकेंगे।

iii. इन सभी स्वास्थ्य प्रबंधकों की निम्न अनुसार विशिष्ट रूप से दायित्व होगी :-

a. प्रतिदिन वार्ड/ औषधी वितरण केंद्र में दवाओं एवं अन्य चिकित्सीय सामग्रियों की उपलब्धता देखेंगे और उससे अपने विभागाध्यक्ष एवं अस्पताल प्रबंधक को अवगत कराएँगे। इसकी प्रति अधीक्षक को भी पृष्ठांकित की जाये।

b. उक्त प्रतिवेदन के आधार पर औषधि भंडार से औषधियों एवं चिकित्सीय सामग्रियों संबंधित विभागों/वार्डो में उपलब्ध हो जाए यह सुनिश्चित करेंगे।

c. स्वास्थ्य प्रबंधक, ओ०पी०डी० में उपलब्ध दवाओं की सूची बनाकर ओ०पी०डी० के चिकित्सकों को उपलब्ध कराएँगे ताकि वे उक्त सूची के आधार पर मरीजों को दवाएँ prescribe कर सकें।

d. किसी भी क्षण औषधियों एवं चिकित्सीय सामग्रियों की अनुपलब्धता होने पर स्वास्थ्य प्रबंधक एवं अस्पताल प्रबंधक जिम्मेवार माने जाएँगे और अनुशासनिक कार्रवाई के भागीदार होंगे।

Scanned by CamScanner

e. अधीक्षक का यह दायित्व होगा कि अस्पताल प्रबंधकों द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर सभी विभागों/वार्डों में अधियाचित मात्रा में औषधियाँ ससमय उपलब्ध करा दी जाये। दवा भंडार में औषधि एवं चिकित्सीय सामग्री उपलब्ध होने के बावजूद अगर विभिन्न विभागों/वार्डों में औषधियों की अनुपलब्धता होती है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

उपरोक्त अनुदेशों का पालन तत्परता एवं दृढ़ता के साथ करना सुनिश्चित किया जाये।

Dut 13/5
(दीपक कुमार)
प्रधान सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार

ज्ञापांक 120(H.S) पटना, दिनांक 15/05/2014

प्रतिलिपि :-

- सचिव, स्वास्थ्य -सह- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- सभी असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- श्री सुधीर कुमार, वरीय उपसमाहर्ता -सह- उपनिदेशक, प्रोक्योरमेंट, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, औषधि भंडार/जिला कार्यक्रम प्रबंधक/अस्पताल प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Dupu 13/5
(दीपक कुमार)
प्रधान सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार

Scanned by CamScanner

1063

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800 014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800 014,
Tel : 0612-2290340, 2281545, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

बिहार सरकार

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

संचिका SHSB/PM/241/2009
पत्रांक :- 4034

फूल सिंह, भा०प्र०से०
विकास आयुक्त, बिहार
-सह-
अध्यक्ष
राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार

सेवा में,
सभी जिला पदाधिकारी,

पटना, दिनांक 07.05.2013

विषय : विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में ।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री की सेवा यात्रा के क्रम में दिनांक 02-05-2013 को गोपालगंज जिले में सारण प्रमंडल तथा दिनांक 04-05-2013 को सीतामढ़ी जिले में तिरहुत प्रमंडल की समीक्षात्मक बैठक माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गयी।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि सीतामढ़ी जिले में कुत्ता काटने की दवा (ARV) तथा सर्पदंश की दवा (ASVS) की कमी है। इसके अतिरिक्त समीक्षा के क्रम में वाह्य रोगियों एवं अंतः रोगियों के लिये निर्धारित आवश्यक दवाओं की अत्यधिक कमी पायी गयी। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा समीक्षा के क्रम में इस पर चिन्ता जताते हुये अप्रसन्ता व्यक्त की गयी ।

आप अवगत हैं कि राज्य स्तर से वाह्य रोगियों एवं अंतः रोगियों के लिये आवश्यक दवाओं की सूची निर्धारित करते हुये उनका दर निर्धारण किया गया है तथा यह सूची सभी जिलों को उपलब्ध करा दी गयी है। विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत दवाओं का क्रय करने हेतु जिलों को उपलब्ध कराये गये आवंटन तथा व्यय की विवरणी (प्रतिलिपि संलग्न) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि राज्य के सभी जिलों के द्वारा दवा मद में प्राप्त आवंटन के अनुरूप व्यायादेश निर्गत नहीं किया गया है, जिसके कारण प्रत्येक जिले के स्वास्थ्य संस्थानों में दवाओं की कमी बनी हुई है तथा स्पष्टतया इससे राज्य के आम नागरिकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ।

आप इससे भी अवगत हैं कि दवा क्रय के संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्र संख्या 995 दिनांक 03-02-2012 (प्रति संलग्न) के द्वारा दवा क्रय के संबंध में स्पष्ट निदेश निर्गत है । खेद के साथ कहना है कि दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में दवाओं की अनुपलब्धता है, जिसके लिये स्पष्ट रूप से संबंधित जिले की स्वास्थ्य समितियों एवं सिविल सर्जन के कार्यालयों की दोषपूर्ण कार्यप्रणाली जिम्मेवार है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा समीक्षा के क्रम में हर परिस्थिति में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है ।

8.5.13

बच्चे दो ही अच्छे

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800 014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800 014,
Tel : 0612-2290340, 2281545, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

(ii)

यह भी उल्लेखनीय है कि सभी आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सभी स्वास्थ्य संस्थानों -स्वास्थ्य उपकेन्द्रों से लेकर जिला अस्पताल तक में हर समय बनाये रखना है।

तद्नुकूल निदेश दिया जाता है कि सभी जिला पदाधिकारी अपने जिले के सिविल सर्जन को राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्र संख्या 995 दिनांक 03-02-2012 के द्वारा दिये गये दिशा-निदेश के आलोक में स्वास्थ्य उपकेन्द्र से लेकर जिला अस्पताल तक के सभी स्वास्थ्य संस्थानों के लिये छः माह की आवश्यकता के अनुसार दवाओं का मांग-पत्र संबंधित आपूर्तिकर्त्ता को 20-05-2013 तक उपलब्ध कराने हेतु निदेशित करेंगे। दवाओं की आपूर्ति के पश्चात चार माह व्यतीत होने के पश्चात सभी सिविल सर्जन Drug Inventory Assessment के आधार पर अपने अधिनस्थ सभी स्वास्थ्य संस्थानों से मांग-पत्र प्राप्त करते हुये दो माह का buffer stock बचे रहने की स्थिति में ही पुनः दवाओं की आपूर्ति के लिये मांग-पत्र बिक्रेताओं को भेजना सुनिश्चित करेंगे । मांग-पत्रों की प्रति राज्य स्वास्थ्य समिति को भी उपलब्ध करायेंगे ताकि आपूर्ति का अनुश्रवण राज्य स्तर पर भी लगातार किया जा सके ।

सरकार के स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि सभी जिला पदाधिकारी जिले में दवाओं की उपलब्धता के लिये जवाबदेह होंगे । अतः सभी जिला पदाधिकारियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे अपने जिले के स्वास्थ्य संस्थानों में दवाओं की उपलब्धता का सतत् अनुश्रवण करेंगे तथा प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को इसके लिये बैठक कर जिले में दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे तथा राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्र संख्या 9283 दिनांक 06-11-2012 (प्रति संलग्न) के द्वारा दिये गये दिशा-निदेश के आलोक में DHIS-2 के वेब पोर्टल पर इसे अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे ।

विश्वासभाजन
17.5.13
(फूल सिंह)
विकास आयुक्त
बिहार सरकार

अनुलग्नक :-

(1) पत्रांक 995 दिनांक 03-02-2012
(2) पत्रांक 9283 दिनांक 06-11-2012
(3) आवंटन एवं व्यय विवरणी बजट कोड सं० B.16.2.5.B
(4) आवंटन एवं व्यय विवरणी बजट कोड सं० A.1.6.4
(5) आवंटन एवं व्यय विवरणी बजट कोड सं० B.1.1.2.A
(6) आवंटन एवं व्यय विवरणी बजट कोड सं० B.1.1.2.B
(7) आवंटन एवं व्यय विवरणी बजट कोड सं० B.16.2.1.C
(8) आवंटन एवं व्यय विवरणी बजट कोड सं० B.16.2.5.A
(9) आवंटन एवं व्यय विवरणी बजट कोड सं० B.16.2.5.C
(10) आवंटन एवं व्यय विवरणी बजट कोड सं० B.16.2.1.A
(11) आवंटन एवं व्यय विवरणी बजट कोड सं० B.16.1.1.E

1067

संoसंo–1 / विविध–50 / 2022–1031(1)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य / अधीक्षक,
सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल,
बिहार।

सभी सिविल सर्जन, बिहार।
अधीक्षक / उपाधीक्षक
सभी सदर अस्पताल, बिहार।

पटना, दिनांक–06 / 12 / 2022

विषयः– **राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं सदर अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण।**

महाशय,

आप सभी अवगत हैं कि राज्य सरकार अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं में गुणात्मक सुधार के प्रति संवदेनशील है। इस हेतु आवश्यक है कि राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं सदर अस्पतालों में सेवाओं के उच्चस्तरीय गुणवत्ता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की जाए।

उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं सदर अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं गुणात्मक सुधार हेतु, प्रमुख बिन्दुओं पर, निम्नरूपेण मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः–

क्र0 सं0	मद	दिशा–निर्देश	अभ्युक्ति
		ओ0पी0डी0 सेवाएँ	
1.	**रिसेप्शन एवं पूछताछ**	(i) वैसे कर्मी जिन्हें हिन्दी / स्थानीय भाषा का ज्ञान हो पूछताछ / May I Help You डेस्क पर उपलब्ध रहेंगे। (ii) ओ0पी0डी0 निबंधन काउन्टर पर मरीजों / उनके परिजनों की सहायता हेतु हेल्पर की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए– यह कार्य जीविका दीदीयों द्वारा कराया जाए।	संबंधित अधीक्षक / असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी इस हेतु समन्वय एवं सहयोग करते हुए इसे स्थापित कराना सुनिश्चित करेंगे।
2.	**प्रतीक्षा क्षेत्र तथा मरीजों के सहचर** (Attendant) **हेतु सुविधा**	ओ0पी0डी0 एवं आई0पी0डी0 क्षेत्र में प्रतीक्षा क्षेत्र के लिए निम्नांकित सुधार / उत्क्रमण किया जाए :– (i) मरीजों की अनुमानित औसत संख्या के हिसाब से बैठने की समुचित व्यवस्था करना। (ii) टेलीविजन (iii) पंखा (iv) जरूरत के अनुसार 24X7 स्वच्छ पेयजल की	

क्र0 सं0	मद	दिशा–निर्देश	अभ्युक्ति
		व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। आवश्यकतानुसार नये water purifier का अधिष्ठापन एवं on call मरम्मती की व्यवस्था करना सुनिश्चित किया जाए।	
3.	**ओ0पी0डी0 का समय**	(i) **ओ0पी0डी0 निबंधन का समय–** 8:00 बजे पूर्वाह्न से 1:30 बजे अपराह्न तक। (ii) **ओ0पी0डी0 का समय–** (क) सुबह–पूर्वाह्न 9:00 बजे से 2:00 अपराह्न तक (ख) सायंकालीन– अपराह्न 4:00 बजे से अपराह्न 6:00 तक – ग्रीष्मकाल (मार्च से अक्टूबर तक), अपराह्न 3:00 बजे से अपराह्न 5:00 तक–शीतकाल (नवम्बर से फरवरी तक)	
4.	**अंतःवासी मरीजों हेतु चिकित्सकों का परिभ्रमण (Round)**	(i) सुबह– पूर्वाह्न 8:30 बजे से 9:00 बजे पूर्वाह्न (ii) सायंकालीन– अपराह्न 5:30 बजे से अपराह्न 6:00 तक–ग्रीष्मकाल (मार्च से अक्टूबर तक), अपराह्न 4:30 बजे से अपराह्न 5:00 तक–शीतकाल (नवम्बर से फरवरी तक)।	
5.	**दवा वितरण की व्यवस्था**	(i) सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं सदर अस्पतालों में 3 (तीन) दिन के स्थान पर 5 (पाँच) दिनों की दवा वाहय रोगियों एवं अंतःवासी रोगियों (छुट्टी के समय) को दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। (ii) 30 दिनों की दवा मधुमेह/उच्च रक्तचाप तथा अन्य समान स्थायी बीमारियों (Chronic Disease) हेतु दिया जाए। (iii) गर्भवती महिलाओं को IFA एवं कैल्शियम की पूरे खुराक (Full dose) की दवाएं एकमुश्त दे दी जाए।	
		Operation Theatre	
6.	**ऑपरेशन थियेटर**	(i) इलेक्टिव ऑपरेशन (Elective Operation) का समय – 8:00 बजे पूर्वाह्न से 2:00 बजे अपराह्न निर्धारित की जाए। (ii) आपात स्थिति में ऑपरेशन (Emergency Operation)/ऑपरेशन थियेटर की सुविधा 24X7 सुनिश्चित किया जाए। (iii) ऑपरेशन कार्य आवश्यकतानुसार विभागवार प्रतिदिन किया जाए।	

1065

क्र0 सं0	मद	दिशा–निर्देश	अभ्युक्ति
		Emergency Services	
7.	**इमरजेन्सी कॉम्प्लेक्स 24 X 7 सेवा**	(i) सभी इमरजेन्सी सेवा 24X7 उपलब्ध रहेगी।	
		Blood Bank Services	
8.	**रक्त अधिकोष की सेवा**	(i) रक्त अधिकोष की सेवा 24X7 उपलब्ध रहेगी। (ii) रक्त एवं कॉम्पोनेंट की उपलब्धता की सूचना डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।	
		General / Common Issue	
9.	**इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड**	निम्नांकित सेवा हेतु इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड लगाना सुनिश्चित किया जायः– (i) ओ0पी0डी0 का ड्यूटी रोस्टर (ii) फार्मेसी में दवा की उपलब्धता (iii) आकस्मिकी में शय्या की उपलब्धता (iv) रेफरल एवं इमरजेन्सी नम्बर डिस्प्ले की व्यवस्था की जाए।	
10.	**संक्रमण नियंत्रण एवं बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन**	(i) संक्रमण के रोकथाम एवं बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन हेतु दिये गये निदेशों का पालन किया जाए। (ii) अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति (Hospital Infection Control Committee) का गठन किया जाए। (iii) संक्रमण नियंत्रण (Infection Control) एवं बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन (BMW Management) हेतु कर्मियों को प्रशिक्षित कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।	

वर्णित स्थिति में निदेश दिया जाता है कि अपने–अपने चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं सदर अस्पतालों में उक्त मानक संचालन प्रक्रिया का दृढ़ता से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

4/12

(प्रत्यय अमृत)

1064

Indent Vs Supply Status Q3 2022-23 as on dt. 26/11/2022

Dist_Name	Drug							Surgical						
	Indent	Issue	Not Supplied	NA Certificate Issue	Issue_Pending at BMSICL	Rc	Non-RC	Indent	Issue	Not Supplied	NA Certificate Issue	Issue_Pending at BMSICL	Rc	Non-RC
	A	B	C= A-B	D	E=C-D	F	G	A	B	C= A-B	D	E=C-D	F	G
Araria- Dcs	221	130	91	70	21	20	1	76	27	49	16	33	31	2
Arwal- Dcs	213	141	91	58	33	14	19	79	40	39	12	27	26	1
Aurangabad- Dcs	214	145	69	63	6	6	0	75	49	26	11	15	14	1
Banka- Dcs	245	143	102	77	25	23	2	91	39	52	14	38	36	2
Begusarai- Dcs	256	164	92	74	18	17	1	88	43	45	14	31	30	1
Bhagalpur- Dcs	258	134	124	85	39	37	2	91	34	57	18	39	39	0
Bhojpur- Dcs	193	126	67	56	11	11	0	68	27	41	12	29	27	2
Buxar- Dcs	233	150	83	73	10	9	1	88	43	45	13	32	30	2
Champaran- E- Dcs	256	132	124	82	42	42	0	98	42	56	17	39	36	3
Champaran -W- Dcs	178	98	80	54	26	26	0	60	14	46	9	37	33	4
Darbhanga- Dcs	214	106	108	74	34	34	0	79	28	51	15	36	33	3
Gaya- Dcs	241	137	104	80	24	23	1	88	38	50	13	37	35	2
Gopalganj- Dcs	249	126	123	85	38	38	0	88	31	57	17	40	37	3
Jamui- Dcs	228	114	114	81	33	33	0	86	39	47	11	36	34	2
Jehanabad- Dcs	232	135	97	79	18	18	0	68	29	39	10	29	27	2
Kaimur- Dcs	203	134	69	53	16	16	0	79	40	39	11	28	26	2
Katihar- Dcs	184	109	75	54	21	20	1	77	32	45	15	30	28	2
Khagaria- Dcs	236	149	87	67	20	19	1	51	24	27	9	18	17	1
Kishanganj- Dcs	242	150	92	73	19	18	1	66	26	40	14	26	25	1
Lakhisarai- Dcs	230	142	88	71	17	17	0	80	32	48	12	36	34	2
Madhepura- Dcs	269	146	123	87	36	35	1	106	44	62	18	44	42	2
Madhubani- Dcs	263	131	132	88	44	44	0	104	37	67	17	50	46	4
Munger- Dcs	260	153	107	87	20	20	0	81	35	46	12	34	32	2
Muzaffarpur- Dcs	244	117	127	85	42	42	0	87	22	65	15	50	47	3
Nalanda- Dcs	226	140	86	73	13	12	1	83	35	48	13	35	33	2
Nawada- Dcs	210	128	82	68	14	14	0	82	36	46	15	31	29	2
Patna- Dcs	218	132	86	70	16	16	0	79	35	44	13	31	29	2
Purnea- Dcs	180	110	70	50	20	19	1	75	30	45	14	31	30	1
Rohtas- Dcs	241	141	100	78	22	21	1	86	36	50	14	36	34	2
Saharsa- Dcs	233	136	97	74	23	22	1	96	40	56	17	39	37	2
Samastipur- Dcs	250	123	127	85	42	42	0	94	27	67	16	51	47	4
Saran- Dcs	263	131	132	85	47	46	1	91	31	60	17	43	40	3
Sheikhpura- Dcs	205	129	76	65	11	11	0	51	20	31	8	23	22	1
Sheohar- Dcs	196	107	89	59	30	29	1	55	16	39	12	27	23	4
Sitamarahi- Dcs	229	116	113	75	38	38	0	80	17	63	14	49	45	4
Siwan- Dcs	245	120	125	84	41	41	0	94	32	62	16	46	43	3
Supaul- Dcs	221	140	81	63	18	17	1	87	38	49	14	35	34	1
Vaishali- Dcs	265	125	140	91	49	48	1	95	25	70	16	54	51	3
Grand Total	**8744**	**4990**	**3773**	**2776**	**997**	**958**	**39**	**3102**	**1233**	**1869**	**524**	**1345**	**1262**	**83**
%		57.07		31.75	11.40				39.75		16.89	43.36		